न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 70/2021

रामभंवर सिंह हाडा पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री विकास पोरवाल

दायरा दिनांकः 05.07.2021

निर्णय दिनांक : 21.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 47 रकबा 2.39 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह के स्थान पर भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह है। जिसको वादी भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह के स्थान पर रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह के स्थान पर रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह के स्थान रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.07.2021को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/869 दिनांक 01.10.2021 के जिसके अनुसार भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत को रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत व रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह के स्थान पर रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व छगनसिंह पुत्र तख्तसिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ के आधार पर आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 47 रकबा 2.39 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम भँवरसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत के स्थान पर रामभंवर सिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बादं तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।

([illegible] सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner